अनुदान संख्या 74 – विद्युत मंत्रालय
GRANT No. 74–MINISTRY OF POWER

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	6089,20,00		6121,05,00	5868,19,31	–252,85,69
पूरक	Supplementary	31,85,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					245,66,06
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	306,56,00		409,57,00	377,81,98	–31,75,02
पूरक	Supplementary	103,01,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					31,74,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (25285.69 लाख रु.) अक्तूबर, 2008, दिसम्बर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 3185.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.25285.69 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.3185.00 lakhs obtained in October, 2008, December, 2008 and February, 2009 and constituted 4 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	1409.00	1717.60	1615.44	–102.16
पू.	S.	310.00			
पु.	R.	–1.40			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	44500.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–44500.00			
मुख्य शीर्ष ''2801'' बिजली	Major Head "2801" Power				
मू.	O.	563011.00			
पू.	S.	2875.00	585821.34	585203.87	–617.47
पु.	R.	19935.34			

(I) 45102.40 लाख रु. का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 45100.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.45102.40 lakhs remained wholly unutilised under five heads; of these Rs.45100.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''ग्रामीण विद्युतीकरण - अन्य व्यय - राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम'' - 44500.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "2552" - "Rural Electrification – Other Expenditure – Rural Electrification Corporation for Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana (RGGVY)" - Rs.44500.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2801'' - ''सामान्य - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - भावी पीढ़ी परियोजना'' - 600.00 लाख रु. स्कीम का पुनर्गठन किए जाने के कारण थे।

(B) Major Head "2801" - "General - International Cooperation - Future Generation Project" - Rs.600.00 lakhs - due to restructuring of the scheme.

(II) मुख्य शीर्ष ''2801'' - ''सामान्य'' के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के अंतर्गत दर्शाई गई सीमा तक पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2801" – "General" – remained wholly unutilised under the following heads as shown against each:-

(का) ''अनुसंधान और विकास - केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान'' - 5000.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 929.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 5929.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 3018.46 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) चालू स्कीमों की धीमी प्रगति होने और नई स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''अन्य व्यय'' -

(क) ''ऊर्जा दक्षता ब्यूरो'' - 9000.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 31.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 9031.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 2901.00 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कीमों/नई स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''विद्युत के लिए अपीलीय अधिकरण'' - 550.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 37.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 587.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 155.46 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) अधिकरण द्वारा किराया, दरों और करों के लिए निधियों का उपयोग न किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''दिल्ली के अतिरिक्त संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त एसईआरसी की स्थापना'' - 267.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 24.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 291.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 118.97 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) आयोग के सदस्यों से विद्युत प्रभारों और घरेलू यात्रा व्ययों से संबंधित दावे प्राप्त न होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(A) "Research and Development-Central Power Research Institute" - the original provision of Rs.5000.00 lakhs was augmented to Rs.5929.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.929.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.3018.46 lakhs (including supplementary grant) - due to slow progress of the ongoing schemes and non-approval of the new schemes.

(B) "Other Expenditure" -

(a) "Bureau of Energy Efficiency" - the original provision of Rs.9000.00 lakhs was augmented to Rs.9031.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.31.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.2901.00 lakhs (including supplementary grant) - due to non-approval of the schemes/ new schemes by the competent authority.

(b) "Appellate Tribunal for Electricity" - the original provision of Rs.550.00 lakhs was augmented to Rs.587.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.37.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.155.46 lakhs (including supplementary grant) - due to non-utilisation of funds for rent, rates and taxes by the Tribunal and economy measures.

(c) "Setting up of Joint SERC for Union Territories except Delhi" - the original provision of Rs.267.00 lakhs was augmented to Rs.291.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.24.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.118.97 lakhs (including supplementary grant) - due to non-receipt of claims on account of electricity charges and domestic travel expenses of the members of the commission and economy measures.

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - विद्युत मंत्रालय'' - 1409.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 310.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1719.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों के न भरे जाने, छुट्टी यात्रा रियायत के कम दावे होने, मैसर्स बामर एंड लारी द्वारा यात्रा व्ययों संबंधी बिल प्रस्तुत न किए जाने, व्यवहार्यता रिपोर्टों का अध्ययन करने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति न किए जाने और विधिक प्रभारों के बिल देर से प्राप्त होने के कारण 103.56 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) मुख्य शीर्ष ''2801'' -

(क) ''पन बिजली उत्पादन - निदेशन और प्रशासन - केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण'' - 150.31 लाख रु. के मूल प्रावधान को 25.92 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 176.23 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों के भरे जाने और किफायती उपायों के कारण 7.31 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) ''ताप विद्युत उत्पादन - निदेशन और प्रशासन - केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण'' - 358.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 47.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 405.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, ताप विद्युत केंद्र के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए योजना स्कीम में विद्युत मंत्रालय द्वारा लागत की अधिकतम सीमा संशोधित रूप में निर्धारित किए जाने के कारण 46.55 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ग) ''सामान्य - अन्य व्यय - केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण'' - 4011.44 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1083.05 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 5094.49 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, किफायती उपायों के कारण 246.86 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2801'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(A) Major Head “3451” - “Secretariat - Ministry of Power” - the original provision of Rs.1409.00 lakhs was augmented to Rs.1719.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.310.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.103.56 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, less claims towards leave travel concession, non-submission of bills by M/s. Balmer & Lawrie for travel expenses, non-appointment of consultants to study feasibility reports and late receipt of bills on account of legal charges.

(B) Major Head “2801” -

(a) “Hydel Generation – Direction and Administration – Central Electricity Authority” – the original provision of Rs.150.31 lakhs was augmented to Rs.176.23 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.25.92 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.7.31 lakhs - due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(b) “Thermal Power Generation – Direction and Administration – Central Electricity Authority” – the original provision of Rs.358.00 lakhs was augmented to Rs.405.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.47.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.46.55 lakhs - due to revised cost ceiling fixed by Ministry of Power in the Plan Scheme for renovation and modernisation of Thermal Power Station.

(c) “General - Other Expenditure - Central Electricity Authority” - the original provision of Rs.4011.44 lakhs was augmented to Rs.5094.49 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1083.05 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.246.86 lakhs - due to economy measures.

(IV) Under Major Head “2801” – savings also occurred under the following heads:-

(का) ''ताप विद्युत उत्पादन - बदरपुर ताप विद्युत केंद्र - प्रचालन और अनुरक्षण'' - 22087.69 लाख रु. की बचत (32076.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बदरपुर ताप विद्युत केंद्र और संबंधित पक्षों के बीच बकाया देयताओं का समाधान न होने के कारण हुई।

(खा) ''सामान्य - अन्य व्यय'' -

(क) ''मूल्यांकन अध्ययन और परामर्शदात्री सेवाओं के लिए निधियां'' - 261.70 लाख रु. की बचत (290.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम अध्ययन किए जाने और मूल्यांकन अभिकरणों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) ''क्षमता निर्माण के लिए एफओआर को सहायता'' - 154.18 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (4492.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2801'' - ''सामान्य'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत 206.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) ''प्रशिक्षण - राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान'' - 222.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 221.00 लाख रु. था।

(खा) ''अन्य व्यय'' -

(क) ''त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम'' - 2400.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2399.00 लाख रु. था।

(ख) ''ऊर्जा संरक्षण'' - 1870.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1868.96 लाख रु. था।

(A) "Thermal Power Generation - Badarpur Thermal Power Station - Operation and Maintenance" - saving of Rs.22087.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.32076.00 lakhs) was due to non-reconciliation of the outstanding liabilities between Badarpur Thermal Power Station and the concerned parties.

(B) "General – Other Expenditure" -

(a) "Funds for Evaluation Studies & Consultancy" -saving of Rs.261.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.290.00 lakhs) was due to less studies conducted and receipt of less claims from the evaluating agencies.

(b) "Assistance to FOR for capacity building (APDRP)" - saving of Rs.154.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to slow progress of the scheme.

2.(I) The above savings were partly (Rs.4492.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.206.00 lakhs under Major Head "2801" – "General" - under the following heads:-

(A) "Training - National Power Training Institute" - Rs.222.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.221.00 lakhs.

(B) "Other Expenditure" -

(a) "Accelerated Power Development and Reform Programme" -Rs.2400.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2399.00 lakhs.

(b) "Energy Conservation" - Rs.1870.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1868.96 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2801'' - "ग्रामीण विद्युतीकरण - अन्य व्यय - राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 44500.00 लाख रु. का अधिक व्यय (505500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2801" - "Rural Electrification - Other Expenditure - Rural Electrification Corporation for Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana" - excess of Rs.44500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.505500.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (3175.02 लाख रु.) दिसम्बर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 10301.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 31 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 8 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.3175.02 lakhs) constituted 31 percent of the supplementary grants of Rs.10301.00 lakhs obtained in December, 2008 and February, 2009 and 8 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	15500.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–15500.00			
मुख्य शीर्ष "4801'' बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4801" Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	11756.00	1883.00	1881.98	–1.02
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	–9874.00			
मुख्य शीर्ष "6801'' बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज	Major Head "6801" Loans for Power Projects				
मू.	O.	3400.00	35900.00	35900.00	. .
पू.	S.	10300.00			
पु.	R.	22200.00			

(I) 26601.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 26600.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''4552'' - ''डीजल/गैस विद्युत उत्पादन - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम'' - 15500.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''4801'' - ''पन बिजली उत्पादन - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - टिहरी पन बिजली विकास निगम'' - 11100.00 लाख रु. आंतरिक संसाधनों का परिनियोजन किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''4801'' - ''सामान्य - अन्य व्यय - केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण'' के अंतर्गत 155.02 लाख रु. की बचत (655.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायती उपायों के कारण हुई।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (23582.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 10301.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(I) मुख्य शीर्ष ''4801'' - ''डीजल/गैस विद्युत उत्पादन - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम'' - 1382.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1381.00 लाख रु. था।

(II) मुख्य शीर्ष ''6801'' - ''सार्वजनिक क्षेत्र व तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज - विद्युत वित्त निगम को कर्ज'' - 22200.00 लाख रु.।

(I) Provision of Rs.26601.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.26600.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "4552" – "Diesel/Gas Power Generation - Investment in Public Sector and Other Undertakings - North Eastern Electric Power Corporation" - Rs.15500.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount .

(B) Major Head "4801" - "Hydel Generation - Investment in Public Sector and Other Undertakings - Tehri Hydro Development Corporation" - Rs.11100.00 lakhs - due to deployment of internal resources.

(II) Under Major Head "4801" – "General - Other Expenditure - Central Electricity Authority" - saving of Rs.155.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.655.00 lakhs) was due to economy measures.

4. The above savings were partly (Rs.23582.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.10301.00 lakhs under the following major heads:-

(I) Major Head "4801" - "Diesel/Gas Power Generation - Investment in Public Sector and Other Undertakings - North Eastern Electric Power Corporation" – Rs.1382.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1381.00 lakhs.

(II) Major Head "6801" - "Loans to Public Sector and Other Undertakings - Loans to Power Finance Corporation" - Rs.22200.00 lakhs.